मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक 5312 / NR-3/IMPCell/MGNREGS-MP/11 भोपाल, दि. 25 / 5 / 2011

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषयः– समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्ययोजना के परीक्षण हेतु सांकेतिक चेकलिस्ट बावत्।

––0––

विषयांतर्गत समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु चयनित ग्राम/ग्राम पंचायत/क्लस्टर की नेटप्लानिंग तथा अन्य जारी निर्देशों अनुसार विस्तृत तीन वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जाना है। कार्ययोजना में रिज–टू–वेली उपचार कार्य तथा आजीविका गतिविधियों का समावेश होगा। मनरेगा के प्रावधानानुसार लिये जा सकने वाले उपचार कार्यो को छोडकर शेष उपचार कार्य एवं आजीविका गतिविधियों हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं से अभिसरण किया जाना होगा। नियुक्त शासकीय एवं अशासकीय क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा आवंटित क्लस्टर की कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके परीक्षण हेतु सांकेतिक चेकलिस्ट तैयार कर भेजी जा रही है। जिले की स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप अन्य बिन्दु भी सम्मिलित किये जावें।

आशा है कि यह चेकलिस्ट कार्ययोजना के महत्वपूर्ण घटकों के त्वरित परीक्षण हेतु उपयोगी हो सकेगी।

संलग्नः– चेकलिस्ट।

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

पृ.क्रमांक 5313 / NR-3/IMPCell/MGNREGS-MP/11 भोपाल, दि. 25/ 5 / 2011

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.शासन, विकास आयुक्त कार्यालय विंध्याचल भवन, भोपाल
3. आयुक्त, समस्त संभाग

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु ग्राम/ग्राम पंचायत/ क्लस्टर की विस्तृत कार्ययोजना (डी.पी.आर.) परीक्षण बावत् सांकेतिक चेकलिस्ट

क्र.	परीक्षण के बिन्दु	कार्यवाही की स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4
1	**आदेश क्रमांक–03 अनुसार कार्ययोजना निर्माण**		
1.1	आदेश क्रमांक–03 अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत/ क्लस्टर की जानकारी संकलित कर कार्ययोजना तैयार की गयी है	हॉ/नही	
1.2	कार्ययोजना में स्थानीय परिस्थितियों, कृषि जलवायु क्षेत्र इत्यादि का समावेश किया गया है।	हॉ/नही	
2	**पी.आर.ए. एक्सरसाईज**		
2.1	पी.आर.ए. एक्सरसाईज संपादित की गयी है।	हॉ/नही	
2.2	पी.आर.ए. एक्सरसाईज अनुसार ग्राम में उपलब्ध संसाधन, वर्तमान स्थिति, समस्याएँ, मांग तथा संभावनाओं का आंकलन किया गया है।	हॉ/नही	
2.3	कार्ययोजना में उपरोक्तानुसार कार्यवाही का समावेश किया गया है।	हॉ/नही	
3	**नेटप्लानिंग**		
3.1	नेटप्लानिंग हेतु परिषद स्तर से जारी निर्देश एवं प्रपत्र अनुसार नेटप्लानिंग की गयी है।	हॉ/नही	
3.2	ग्राम के समस्त खसरों की नेटप्लानिंग की गयी है।	हॉ/नही	
3.3	ग्राम में आने वाले निजी एवं शासकीय सहित समस्त खसरों की संख्या		
3.4	नेटप्लान किये गये खसरों की संख्या		
3.5	ग्राम में निवासरत् समस्त परिवारों की नेटप्लानिंग की गयी है।	हॉ/नही	
3.6	ग्राम में निवासरत् कुल परिवारों की संख्या		
3.7	नेटप्लान किये गये परिवारों की संख्या		
3.8	नेटप्लानिंग में समस्त प्रकार के उपचार कार्य को सम्मिलित किया गया है।	हॉ/नही	
3.9	कार्ययोजना में समस्त आवश्यक सर्वेक्षण पत्रक, नक्शे जैसे टोपोशीट, मजमूली नक्शा, ड्रेनेज नक्शा, पी.आर.ए. एक्सरसाईज के नक्शे, प्रस्तावित गतिविधियों का नक्शे पर प्रस्तुतीकरण इत्यादि सम्मिलित किये गये है।	हॉ/नही	
4	**विस्तृत कार्ययोजना**		
4.1	मनरेगा प्रावधानानुसार कार्यो का चिंहांकन किया गया है।	हॉ/नही	
4.2	शेष अन्य उपचार कार्यो हेतु अन्य शासकीय योजनाओं से क्रियान्वयन के लिये चिन्हांकन किया गया है।	हॉ/नही	
4.3	मनरेगा प्रावधान तथा समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है।	हॉ/नही	
5	**लेबर बजट**		
5.1	ग्राम पंचायत क्षेत्र के वार्षिक लेबर बजट का आंकलन कर कार्ययेाजना में सम्मिलित किया गया है।	हॉ/नही	
5.2	गत वर्षो में रोजगार की मांग करने वाले तथा 100 दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों का चिन्हांकन किया गया है।	हॉ/नही	
5.3	रोजगार की मांग करने वाले शेष संभावित परिवारों का चिन्हांकन /आंकलन किया गया है।	हॉ/नही	
6	**वार्षिक कार्ययोजना**		
6.1	लेबर बजट अनुसार तीन वर्षीय कार्ययोजना में मनरेगा से प्रस्तावित कार्यो की वार्षिक कार्ययोजना के लिये प्रतिवर्ष लिये जाने वाले कार्यो का चिन्हांकन किया गया है।	हॉ/नही	

7	**शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट**		
7.1	विस्तृत कार्ययोजना का अनुमोदन त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं से कराया गया है।	हॉ / नही	
7.2	ग्रामसभा से अनुमोदन की तिथि		
7.3	जनपद पंचायत से अनुमोदन की तिथि		
7.4	जिला पंचायत से अनुमोदन की तिथि		
8	**जिला स्तरीय तकनीकी समिति (आदेश क्र.05 की कंडिका 2.2 एवं 2.6 अनुसार)**		
8.1	विस्तृत कार्ययोजना में मनरेगा प्रावधानानुसार प्रस्तावित कार्य, कार्यवार एजेंसी, लेबर बजट अनुसार वार्षिक कार्ययोजना का तकनीकी अनुमोदन कराया गया है।	हॉ / नही	
8.2	मनरेगा प्रावधानानुसार वार्षिक कार्ययोजना अनुसार 50 प्रतिशत राशि का व्यय ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रावधानित किया गया है।	हॉ / नही	
8.3	कार्य के मॉडल प्राक्कलनों में लिये गये आयटम, दर अनुसूची अनुसार दरें एवं अन्य तकनीकी मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया गया है।	हॉ / नही	
8.4	प्राक्कलनों में मनरेगा प्रावधानानुसार कंटेजेंसी, झूला, पेयजल, छाया, फर्स्ट एड बॉक्स इत्यादि हेतु प्रावधान किया गया है।	हॉ / नही	
8.5	तकनीकी समिति द्वारा दिये गये सुझाव / संशोधन / निर्देश अनुसार कार्ययोजना का पुनरीक्षण किया गया है।	हॉ / नही	
8.6	तकनीकी समिति से अनुमोदन की तिथि		
9	**आजीविका कार्ययोजना (आदेश क्र.03 अनुसार)**		
9.1	ग्राम में निवासरत् परिवारों की नेटप्लानिंग अनुसार आजीविका कार्ययोजना तैयार की गयी है।	हॉ / नही	
9.2	आजीविका कार्ययोजना में स्थानीय परिस्थिति, परिवार द्वारा चयनित की गई गतिविधि तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के दृष्टिगत समस्त आंकलन कर गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।	हॉ / नही	
10	**अभिसरण कार्ययोजना (आदेश क्र.03 अनुसार)**		
10.1	कार्ययोजना में मनरेगा से प्रावधानित उपचार कार्यो को छोडकर शेष उपचार कार्यो हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत् आंकलित कर विभाग एवं योजना मद वर्गीकृत किया गया है।	हॉ / नही	
10.2	कार्ययोजना में आजीविका कार्ययोजना के अंतर्गत चिंहित गतिविधियों हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत पात्रता एवं अन्य बिन्दुओं पर आंकलित कर विभाग एवं योजना मद वर्गीकृत किया गया है।	हॉ / नही	
10.3	बिन्दु क्रमांक 9.1 एवं 9.2 अनुसार संबंधित विभाग से परामर्श, समन्वय, योजना मद, राशि की उपलब्धता, संभावित क्रियान्वयन अवधि इत्यादि जानकारी संकलित की गयी है।	हॉ / नही	
11	**प्रशासकीय अनुमोदन (आदेश क्र.05 की कंडिका 2.6 अनुसार)**		
11.1	तकनीकी समिति द्वारा अनुशंसित कार्ययोजना का एकजाई प्रशासकीय अनुमोदन कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर से कराया गया है।	हॉ / नही	
11.2	प्रशासकीय अनुमोदन की तिथि		
11.3	अभिसरण से लिये जाने वाले उपचार कार्य तथा आजीविका गतिविधियों हेतु कार्ययोजना अनुसार विवरण संबंधित विभागों को जिला पंचायत के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के हस्ताक्षर से संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया	हॉ / नही	